


आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम पिंडी के खाता सं. 377 खसरा नं. 2014 में आवेदन पत्र अनुसार बादला के लान पर बादुराम शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प पिंडी ग्राम पंचायत पिंडी में दिनांक 20/9/25 को मजमेआम में सुनाया गया।




उपखण्ड अधिसूचक
फागी